# न्यायालयः राजेश कुमार–चतुर्थ
# जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम् सह विशेष सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–908/2026

राघोपुर थाना कांड सं0–473/2025

<table>
<tr>
<td>21/07/2026</td>
<td>
ललटु मंडल उर्फ श्याम कुमार, उम्र–33 वर्ष, पिता–स्व0 खट्टर मंडल<br>
सा0–गद्दी, थाना–राघोपुर, जिला–सुपौल.....................................................................................................आवेदक<br>
बनाम्<br>
बिहार सरकार..............................................................................................................................................विपक्षी<br><br>
आवेदक अभियुक्त ललटु मंडल उर्फ श्याम कुमार की ओर से अपने विरुद्ध दर्ज राघोपुर थाना कांड सं0–473/2025 दिनांक 24.10.2025 धारा–96 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत गिरफ्तारी की आशंका दिखाते हुए यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विशेष लोक अभियोजक को दिया गया है।<br><br>
अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार मेहता ने निवेदन किया है कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा इनके द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त की ओर से इस प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन के सिवा किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को गांव की गंदी राजनीति वो आपसी वैमनस्यता के कारण झूठा, बनावटी वो मनगढ़ंत आरोप लगाकर फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध लगाया गया किसी भी धाराओं का आरोप बिल्कुल नहीं बनता है। मुदालय चन्द्रदेव कुमार एवं पीडिता के बीच प्रेम–प्रसंग के कारण आवेदक को झूठा फंसाया गया है। आवेदक का नाम विधि विरुद्ध बालक चन्द्रदेव कुमार के बयान के आधार पर आया है। आवेदक को चन्द्रदेव कुमार के बहनोई होने के कारण प्रस्तुत वाद में झूठा फंसाया गया है। अपहृता ने धारा–180 एवं 182 बी0एन0एस0एस0 के बयान में भी आवेदक का नाम नहीं लिये है। अन्य प्राथमिकी अभियुक्तों को इस न्यायालय के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–146/2026 के द्वारा दिनांक 19.02.2026 को अग्रिम जमानत दिया गया है। आवेदक अभियुक्त सभी शर्तों को मानने को तैयार है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है।<br><br>
विद्वान लोक अभियोजक श्री महेन्द्र प्रसाद साह द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि आवेदक अभियुक्त का इस काण्ड में संलिप्तता का समर्थन पीड़िता एवं विधि विरुद्ध बालक चन्द्रदेव कुमार ने अपने बयान किया है। आवेदक के विरुद्ध काण्ड का अनुसंधान जारी है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है।<br><br>
सूचक के लिखित आवेदन अनुसार अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 22.12.2025 को समय करीब साढ़े नौ बजे सुबह में सूचक की नाबालिग बहन उम्र 16 वर्ष अपने घर से राघोपुर पढ़ने के लिए जा रही थी कि घर से पश्चिम दिशा की ओर 500 मीटर की दूरी पर सुनसान जगह पर आम का बगीचा में घात लगाये चन्द्रदेव कुमार, सजनी देवी, जीवछ मंडल और कामिनी देवी बैठे थे, जब सूचक की बहन वहाँ पहुंची तो सभी एकमत होकर जान मारने की धमकी देकर उसका अपहरण कर लिया।<br><br>
उभय पक्षो को सुना व अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। प्राथमिकी धारा– 96 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। काण्ड दैनिकी के कंडिका–35 के अनुसार अपहृता का जन्म तिथि 25.08.2009 है, जिससे यह प्रकट होता है कि घटना के समय अपहृता नाबालिग थी। काण्ड दैनिकी के कंडिका– 61 के अनुसार एस0एस0बी0 बल के अरूण कुमार के द्वारा एक लिखित प्रतिवेदन बनाकर इस काण्ड के अपहृता एवं विधि विरुद्ध बालक को अनुसंधानकर्ता को भारत नेपाल सीमा स्थित जोगबनी बॉर्डर स्थित चेक पोस्ट पर सुपूर्द किया गया है। काण्ड दैनिकी के कंडिका–63 में विधि विरुद्ध बालक चन्द्रदेव कुमार ने अपने बयान में आवेदक के साथ मोबाईल से बातचीत होने तथा दिनांक 07.01.2026 को अपने जीजा से मोबाईल पर बातचीत कर शादी करने के नियत से नेपाल दुहबी से जोगबनी चेक पोस्ट पार कर पीड़िता के साथ सुपौल कोर्ट पहुंचने तथा वहाँ आवेदक से मुलाकात करने की बात कहा है। काण्ड दैनिकी के कंडिका–69 में अपहृता का धारा–180 बी0एन0एस0एस0 के तहत बयान अंकित है, जिसमें पीड़िता ने कहा है कि दिनांक 07.01.2026 को नेपाल से सुपौल में चन्द्रदेव कुमार के साथ
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

# न्यायालयः राजेश कुमार–चतुर्थ

## जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम् सह विशेष सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–908 / 2026

राघोपुर थाना कांड सं0–473 / 2025

<table>
<tr>
<td>लगातार<br>21/07/2026</td>
<td>आयी, जहॉ चन्द्रदेव के जीजा जी ललटु मंडल पहले से ही वकील से बातचीत कर शादी की तैयारी कर रखे थे, वहॉ पहुंचने के बाद पता चला कि नाबालिग होने की वजह से शादी नहीं हो पायी। काण्ड दैनिकी के कंडिका–88 में अपहृता का धारा–183 बी0एन0एस0एस0 के तहत बयान अंकित है, जिसमें पीड़िता ने कहा है कि दिनांक 22.12.2025 को हमें मिलने चन्द्रदेव बुलाया और बोला कि तुमसे शादी करेंगे। वह बहला–फुसलाकर स्कार्पियो में बैठाकर धरहारा मंदिर ले गया और जबरदस्ती मॉग में सिन्दुर भर दिया तथा धोखे से नेपाल लेकर चला गया। दिनांक 06.01.2026 को चन्द्रदेव हमें वीरपुर कोर्ट मैरेज करने के लिए ले जा रहा था। जब भीमनगर पहुंचे तो उसका जीजा हमलोगों को फोन किया कि तुम लोग वापस चले जाओ, कोर्ट में राघोपुर थाना का पुलिस है, तब हमें फिर चन्द्रदेव कुमार नेपाल लेकर चला गया। दिनांक 07.01.2026 को हमें फिर कोर्ट मैरेज करने के लिए सुपौल ले गया, लेकिन मेरा उम्र नहीं पुरने के कारण कोर्ट मैरेज नहीं हो पाया। चन्द्रदेव ने मेरे साथ इस दौरान जोर–जबदरस्ती शारीरिक संबंध भी बनाया था। काण्ड दैनिकी के कंडिका–91 में अपहृता का पैथोलॉजिकल रिपोर्ट अंकित है, जिसके अनुसार No spermetozoa found either living or dead. काण्ड दैनिकी के कंडिका–113 अपहृता का चिकित्सकीय जॉच रिपोर्ट अंकित है, जिसके अनुसार No no any fighting sign or any physical aasaut found but rape can not be ruled out. Hymen- completely lax and torn at 07 'O' clock position. काण्ड दैनिकी के कंडिका–116 में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, वीरपुर का पर्यवेक्षण टिप्पणी अंकित है, जिसके अनुसार यह काण्ड धारा–96,64(1),3(5) बी0एन0एस0 एवं धारा–4,6 पॉक्सो अधिनियम तथा धारा–9 / 10 बाल विवाह अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों एवं अप्राथमिकी अभियुक्त जीजा ललटु मंडल के विरुद्ध सत्य प्रतीत होता पाया गया है। काण्ड दैनिकी के कंडिका–125 के अनुसार आवेदक के विरुद्ध राघोपुर थाना में कोई काण्ड / कोई शिकायत दर्ज नहीं है। कंडिका–126 के अनुसार काण्ड का अनुसंधान जारी है।<br><br>उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं वाद के परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुये आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक अभियुक्त ललटु मंडल उर्फ श्याम कुमार की ओर से दिनांक 05.06.2026 को दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।<br><br>लेखापित<br><br>(राजेश कुमार–चतुर्थ)<br>जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम्<br>सह<br>विशेष सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो सुपौल<br><br>
<table>
<tr><td>Date of Order</td><td>21-07-2026</td></tr>
<tr><td>Date of Reserving Order</td><td>21-07-2026</td></tr>
<tr><td>Uploading Date</td><td>23-07-2026</td></tr>
<tr><td>Uploaded by</td><td>RAJEEV KUMAR</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>